राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (रसद) फलौदी (राज.)

Email:- - dsophalodi@gmail.com Phone No:-

क्रमांक : रसद/फलौदी/ **FPS** /विज्ञप्ति/2026/राजकाज रेफ. दिनांकः–

–:विज्ञप्तिः–

सावर्जनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत कार्यालय जिला रसद अधिकारी फलौदी की रिक्त/नवसृजित उचित मूल्य दुकानों के लिए इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3(1) के अन्तर्गत प्राधिकार–पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 17(1)खावि/विधि/08 जयपुर दिनांक 17.03.2016 एवं एफ 17(5)खा.वि./न्याय/महि.आर./2019 दिनांक 25.11.2020 के द्वारा उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु जारी दिशानिर्देशों के तहत सशुल्क आवेदन–पत्र दिनांक <u>09.01.2026</u> से 05.02.2026 तक कार्यालय समय में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जिला रसद अधिकारी फलौदी (जोधपुर चौराहा, फलौदी) से 100/– रूपए का भारतीय पोस्टल ऑर्डर सहित जो जिला रसद अधिकारी फलौदी के पक्ष में प्रस्तुत करके प्राप्त किए जा सकते है। सभी रिक्त/नवसृजित उचित मुल्य दुकानों का 30 प्रतिशत महिलाओं (बेरोजगार) का क्षैतिज आरक्षण रखा गया है।

रिक्त/नवसृजित उचित मूल्य दुकानों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	तहसील	FPS CODE	ग्राम पंचायत/नगर परिषद	उचित मुल्य दुकान हेतु स्थान	आरक्षण स्थिति
1.	बाप	23203	जेमला	जेमला	अनारक्षित
2.	बाप	26043	नेवा	नेवा	अनारक्षित
3.	बाप	28953	नुरे की भूर्ज	नुरे की भूर्ज	महिला आरक्षित
4.	बापिनी	23320	इशरू	इशरू	महिला आरक्षित
5.	सेतरावा	23358	आसरलाई	आसरलाई	अनारक्षित
6.	फलौदी	23195	नोखडा भाटियान	नोखडा भाटियान	अनारक्षित
7.	घंटियाली	23173	बुगडी	बुगडी	महिला आरक्षित
8	फलौदी	10398	सजनाणियों की ढाणी	सजनाणियों की ढाणी	अनारक्षित
9	फलौदी	10367	बीठडी	बीठडी	अनारक्षित
10	फलौदी	26045	मोखेरी	मोखेरी	अनारक्षित
11	फलौदी	20608	नगर परिषद फलौदी	पुराना वार्ड सं 11	अनारक्षित
12	फलौदी	20610	नगर परिषद फलौदी	पुराना वार्ड सं 12	अनारक्षित
13	फलौदी	20603	नगर परिषद फलौदी	पुराना वार्ड सं 20	अनारक्षित
14	फलौदी	20594	नगर परिषद फलौदी	पुराना वार्ड सं 23	महिला आरक्षित
15	देचू	नवसृजित	फतेहगढ़	फतेहगढ़	महिला आरक्षित

Signature Not Verified

Digitally signed by Shweta Chauhan
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2026.01.08 17:24:28 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19819376

आवेदन पत्र आवेदनकर्ता स्वयं द्वारा कार्यालय जिला रसद अधिकारी फलौदी में उपस्थित होकर निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक दस्तावेजों सहित दिनांक 09.01.2026 से 05.02.2026 तक किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक जमा कराये जा सकेंगे। निर्धारित तिथी पश्चात किसी भी स्थिति में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा। उपर्युक्त रिक्त/नव सृजितों के संबंध में विभागीय पत्रांक एफ 17(1)खावि/विधि/08 जयपुर दिनांक 17.03.2016 एवं एफ 17(5)खा.वि./न्याय/महि.आर./2019 दिनांक 25.11.2020 द्वारा तथा उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के संबंध में समय समय पर जारी दिशानिर्देशों में वर्णित चयन प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 17.03.2016 व 25.11.2020 के दिशानिर्देशातथा रिक्त/नवसृजित उचित मूल्य दुकानों के संबंध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट food.rajasthan.gov.in व जिला रसद कार्यालय फलौदी में अवलोकन हेतु उपलब्ध है।

उक्त रिक्त/नवसृजितों में कमी/वृद्धि/निरस्त एवं स्थान परिवर्तन या संशोधन कार्यालय द्वारा किया जा सकता है तथा विज्ञप्ति में दुकानों का आवंटन/नियुक्ति एवं संशोधन का अंतिम निर्णय अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा।

<u>उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु आवेदक की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं भार्तें</u>

1. शहरी क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकान हेतु आवेदक उसी वॉर्ड का निवासी होना चाहिए, जिस वॉर्ड के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करनी है अर्थात उस उचित मूल्य दुकान की अधिकारिता क्षेत्र में स्थित वार्डस में से किसी एक वॉर्ड का निवासी होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान के मामलों में आवेदक उसी पंचायत के किसी भी ग्राम या वॉर्ड का निवासी होना आवश्यक है, जिस पंचायत में उचित मूल्य दुकान स्थित है। एक से अधिक योग्य आवेदन पत्रों के प्राप्त होने की स्थिति में वरीयता उसी ग्राम/वॉर्ड के निवासी को दी जायेगी जिसमें उचित मूल्य की दुकान स्थित है।
2. उचित मूल्य दुकान हेतु सभी श्रेणी के आवेदकों की आयु 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए अर्थात उचित मूल्य दुकान के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि को आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3. आवेदक की ''शैक्षणिक योग्यता स्नातक एवं कम्प्यूटर में Rajasthan Knowledge Corporation Limited (RKCL) या अन्य समकक्ष सरकारी संस्थान का तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए''। यदि उचित मूल्य के दुकानों के आवेदकों में कोई भी आवेदक स्नातक स्तर की शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता है, तो ऐसी स्थिति में 12वीं कक्षा उतीर्ण आवेदकों के प्रार्थना पत्रों को भी आवंटन हेतु स्वीकार किया जा सकेगा। यदि आवेदक कम्प्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हो तो आवेदन के साथ यह घोषणा भी देगा कि वह चयनित होने के 08 माह की अवधि में ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा व ऐसे चयनित व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्राप्ति के बाद ही प्राधिकार पत्र दिया जावेगा।
4. उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन करने वाले पुरूष/महिला के दिनांक 01.01.2015 के बाद पैदा हुई संतान सहित दो से अधिक संतान नहीं होनी चाहिये। निर्धारित तिथी पश्चात दो से अधिक संतान होने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति आवेदन का पात्र नहीं होगा। उचित मूल्य दुकान आवंटन होने के पश्चात भी यदि किसी उचित मूल्य दुकानदार के तीसरी संतान होती है तो ऐसे उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निरस्त[illegible] होगा, [illegible] आवेदक के दिनांक 31.12.2014 को एक ही संतान है तथा पश्चात्वर्ती किसी [illegible] प्रसव

Signature Not Verified
Digitally signed by Shweta Chauhan
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2026.01.08 17:24:28 IST
Reason: Approved

से एक से अधिक संताने पैदा हो जाती है, तो संतानों की गणना करते समय इस प्रकार एक प्रसव से पैदा हुई संतानों को एक इकाई ही समझा जाए।

5. आवेदक को दुकान आवंटन के उपरान्त जिस वितरण स्थल पर वितरण हेतु अधिकृत किया जावेगा, वह स्थान कम से कम 30 फीट रोड पर स्थित होना चाहिए तथा उसका आकार 10 गुना 20 बराबर 200 वर्ग फीट न्युनतम होना आवश्यक है। इस वितरण स्थल के तीन ब्लू प्रिन्ट नक्शे आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने होंगे।
6. आवेदक द्वारा निम्न बिन्दुओं को अंकित करते हुए एक घोषणा पत्र दिया जावेगाः–
    - आवेदक पूर्व में ई.सी. एक्ट के तहत दण्डित नहीं हुआ है।
    - आवेदक द्वारा दुकान का संचालन स्वयं किया जावेगा।
    - आवेदक के परिवार में किसी सदस्य यथा, माता–पिता, पुत्र एवं पुत्री के नाम से पूर्व में कोई दुकान नहीं है।
    - आवेदक को विधिक रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
    - आवेदक स्वयं निर्वाचित जनप्रतिनिधी नहीं है।
    - आवेदक बालिग एवं स्वस्थ चित है, चाल चलन अच्छा है तथा कभी दिवालिया घोषित नहीं हुआ है।
    - आवेदक द्वारा दिनांक 01.01.2015 के बाद पैदा हुई संतान सहित दो से अधिक संतान नहीं होने का स्पष्ट कथन किया जावेगा।
7. आवेदक को दो राजपत्रित अधिकारियों जारी चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो कि 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
8. आवेदक को संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी न्यूनतम 1,00,000/– रूपये का मूल हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (हैसियत प्रमाण पत्र 6 माह से अधिक पुराना होने पर मान्य नहीं होगा) महिला स्वयं सहायता समूह के लिए कार्यक्रम अधिकारी महिला अधिकारिता विभाग की अभिशंषा सहित समूह की वित्तिय हैसियत न्यूनतम 25 हजार रूपये होने संबंधी प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
9. विभागीय पत्रांक एफ17(16)खा.वि./विधि(न्याय)/2011 जयपुर दिनांक 26.12.2019 के अनुसार समिति, जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पजींकृत हैं, को, हैसियत प्रमाण पत्र के स्थान पर समूह की वित्तीय हैसियत के सम्बंध में उनकी अंश पूंजी का विवरण, कार्यशील पूंजी का विवरण, वार्षिक कुल राशि का विवरण एवं विगत दो वित्तीय वर्ष व चालू वर्ष के बैंक खाते के स्टेटमेंट की प्रति मय **सहायक पंजीयक/उप पंजीयक की यह अभिशंषा संलग्न करनी होगी कि समिति की वित्तीय हैसियत 1,00,000/– रूपये है और समिति की गत तीन संपरीक्षा में गंभीर अनियमितता नहीं है।**
10. महिला स्वयं सहायता समूह, जो राज्य सरकार के महिला अधिकारिता विभाग से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त है। आवेदक महिला स्वयं सहायता समूह को तीन वर्ष का कार्यानुभव के आंकलन के निम्न आधार होंगे।
    - समूह का गठन कम से कम तीन वर्ष पूर्व का हो।
    - समूह का कम से कम वर्ष पूर्व बैंक में खाता खुला हो।
    - समूह के सदस्य तीन वर्षों से आंतरिक लेनदेन में संलग्न हो।
11. ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्पस (वृहतर क्षेत्रिय बहुउद्देशीय सहकारी समिति)/दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति, जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है।
12. विभागीय पत्रांक एफ17(11)खा.वि./न्याय/उदयपुर/2012 दिनांक 23.06.2022 के अनुसार **उचित मूल्य दुकान आवंटन के दौरान ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्पस (वृहत बहुउद्देशीय सहकारी समिति) को एक से अधिक प्राधिकार– पत्र जारी किये जा सकते हैं।** पात्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Shweta Chauhan
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2026.01.08 17:24:28 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19819376

<u>नहीं माने जायेंगे।</u> अतः पूर्व में उचित मूल्य दुकान हेतु प्राधिकृत ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्पस आवेदन की पात्र नहीं होगी।

13. आवेदक /समितियों/समूह/निकाय/में सचिव/प्रबंधक का कम्प्यूटर दक्ष एवं शैक्षणिक योग्यताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस बाबत प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
14. प्रत्येक आवेदक अथवा पदाधिकारी (महिला स्वयं सहायता समूह/ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्प्स/दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के मामले में) को अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि उसके घर में कार्यशील शौचालय (functional toilet) है। उक्त प्रावधान उचित मूल्य दुकान आवंटन के लिए अनिवार्य अर्हता होगी।
15. आवेदक द्वारा दी गयी सूचनायें गलत पाये जाने पर आवंटन रद्द करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।

(श्वेता चौहान)
जिला कलक्टर (रसद)
फलौदी

क्रमांक : रसद/फलौदी/**FPS** /विज्ञप्ति/2026/राजकाज रेफ. दिनांकः—

प्रतिलिपीः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान अति. खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान उपायुक्त एवं उपशासन सचिव प्रथम/द्वितीय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. ए.सी.पी. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति खाद्य विभाग की वेबसाईट food.rajasthan.gov.in पर अपलोड कराने बाबत।
5. श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय, जोधपुर।
6. माननीय सांसद महोदय, संसदीय क्षेत्र जोधपुर।
7. माननीय विधायक महोदय, फलौदी, लोहावट।
8. जिला जनसम्पर्क अधिकारी फलौदी को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का स्थानीय समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशन करावें।
9. ए.सी.पी. सूचना एवं तकनीकी विभाग, फलौदी को उक्त आदेश फलौदी जिले की वेबसाईट पर अपलोड कराने बाबत।
10. उपखण्ड अधिकारी, समस्त जिला फलौदी।
11. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त जिला फलौदी।
12. प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक समस्त कार्यालय हाजा।
13. रक्षित पत्रावली।

जिला कलक्टर (रसद)
फलौदी

Signature Not Verified

Digitally signed by Shweta Chauhan
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2026.01.08 17:24:28 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
19819376